न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः **182/2020** दायर दिनाँक **04.08.2020**

वादी		**प्रतिवादीगण**
1. छोटूराम पुत्र किस्तुराराम जाति जाट निवासी थालोड़ो की ढाणी खुड़ी पावा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः—

1. श्री ओम प्रकाश पूनियां वकील वादी

दिनाँक **26.08.2021**

—:: निर्णय ::—

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी की कृषि भूमि खसरा सं0 54 रकबा 49.19 बीघा, खसरा सं0 201 रकबा 39.05 बीघा, खसरा सं0 202 रकबा 23.09 बीघा, खसरा सं0 359/245 रकबा 90.14 बीघा वाके सरहद खुड़ी व पटवार क्षैत्र पावा व भू—अभिलेख क्षैत्र छोटी खाटू तहसील डीडवाना जिला नागौर राज. में अवस्थित है।

यह है कि वादी के खातेदारी व हक अधिकार में आई कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम लोडुराम पुत्र किस्तुराराम दर्ज कर दिया है, जबकि वादी का सही नाम व वास्तविक नाम छोटूराम पुत्र किस्तुराराम है जो सही है। परन्तु राजस्व रेकर्ड के कर्मचारियों व अधिकारीयों की भूव सहवन से वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में छोटूराम के स्थान पर लोडुराम दर्ज कर दिया गया। जबकि वादी के अन्य दस्ताव आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक में छोटुराम पुत्र किस्तुराराम अंकित है, जो कि वादी सही व वास्तविक नाम है।

वादी की प्रार्थना इस प्रकार है—

यह है कि दावा डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी किया जाकर वादपत्र में उपरोक्तानुसार वर्णित [illegible] सं0 54 [illegible].19 बीघा, खसरा सं0 201 रकबा 39.05 बीघा, खसरा सं0 202 र[illegible] 23[illegible] बीघा, खसरा सं0 359/245 रकबा 90.14 बीघा वाके सरहद [illegible] नाम लोडुराम के स्थान पर सही नाम छोटुराम राजस्व रेकर्ड [illegible] दुरूस्ती किया जावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:31:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

वकील वादी को सुना गया। रेकर्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट व वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वादी का नाम लोडुराम पुत्र किस्तुराराम के स्थान पर छोटुराम पुत्र किस्तुराराम राजस्व रिकर्ड में दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

अतः हस्ब दावा डिक्री कर वाके सरहद खुड़ी के खेत खसरा नम्बर 54, 201, 202, 359/245 में तहसलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार वादी का नाम लोडुराम पुत्र किस्तुराराम के स्थान पर छोटुराम पुत्र किस्तुराराम राजस्व रिकर्ड में दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **26.08.2021** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:31:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 182/2020 दायर दिनाँक 04.08.2020

वादी		प्रतिवादीगण
1. छोटूराम पुत्र किस्तुराराम जाति जाट निवासी थालोडो की ढाणी खुड़ी पावा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

दिनाँक 26.08.2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री ओम प्रकाश पूनियां वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री कर वाके सरहद खुड़ी के खेत खसरा नम्बर 54, 201, 202, 359/245 में तहसलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार वादी का नाम लोडुराम पुत्र किस्तुराराम के स्थान पर छोटुराम पुत्र किस्तुराराम राजस्व रिकर्ड में दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–.............. बाबत......................–............ ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 26.08.2021 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:31:41 IST
Reason: SelfAttested

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner